



राजस्थान सरकार  
सम्पदा विभाग

क.प.1(11)सम्पदा/2012

जयपुर, दिनांक : 12 जनवरी, 2013

प्रेषिति,

समस्त जिला कलेक्टर,  
राजस्थान ।

विषय:- 'प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012' अवधि के दौरान अनुपयोगी/रिक्त नजूल सम्पतियों, जो राजकीय उपयोग में नहीं आ रही है, को सम्बन्धित विभागों/नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 6 नवम्बर, 2012 द्वारा राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में 'प्रशासन शहरों के संग अभियान, 2012' के दौरान सम्बन्धित नगर निकाय क्षेत्रों में अवस्थित ऐसी नजूल सम्पतियों को, जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही है, राजकीय विभागों/नगर निकायों को गैर-व्यावसायिक जन-प्रयोजनार्थ निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने बाबत निर्देश दिए गए थे । यह भी स्पष्ट किया गया था कि नजूल सम्पतियों का उपयोग नगर निकायों द्वारा गैर व्यावसायिक सार्वजनिक सुविधाओं के लिए ही किया जावेगा तथा सम्पतियों के हस्तांतरण / आवंटन का सम्पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को होगा ।

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि इन निर्देशों के तहत अभी तक नगण्य प्रगति हुई है । अधिकांश जिला कलेक्टरों द्वारा नजूल सम्पतियों को विभागों/नगर निकायों को हस्तांतरित करने के बारे में कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है ।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना में 'प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012' के दौरान ही समस्त अनुपयोगी/रिक्त नजूल सम्पतियों को सम्बन्धित नगर निकायों /राजकीय विभागों को गैर-व्यावसायिक जन-प्रयोजनार्थ निःशुल्क हस्तांतरित कर इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावें कि जिले में शहरी क्षेत्र में अवस्थित समस्त नजूल सम्पतियों उक्त प्रयोजनार्थ विभागों/नगर निकायों को निःशुल्क हस्तांतरित कर दी गई है तथा अब कोई ऐसी अनुपयोगी/रिक्त नजूल सम्पति नगर निकाय में निःशुल्क आवंटन से शेष नहीं रह गई है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आवंटित नजूल सम्पतियों को सार्वजनिक हित में ही उपयोग में लिया जा सकेगा तथा इनके रखरखाव पर व्यय सम्बन्धित विभाग/नगर निकाय द्वारा अपने बजट से वहन किया जावेगा । सम्पति का व्यावसायिक उपयोग या बेचान नहीं किया जा सकेगा ।

भवदीय,

(सी.के.मैथ्यू)  
मुख्य सचिव

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
- 3- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सम्पदा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सम्पदा, राजस्थान, जयपुर ।

उप शासन सचिव